# न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी

आई०ए०एस०

राजस्व अपील : 189/2019 तकास्मा

1. हरलाल पुत्र कल्याण
2. बत्तूलाल पुत्र कल्याण

जाति मीना निवासी ढाकावास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा

....अपीलांट्स

बनाम

1. बजरंग लाल पुत्र गंगल्या
2. मूली देवी बेवा आनन्दा
3. ओमप्रकाश पुत्र आनन्दा
4. मुकेश पुत्र आनन्दा
5. गौरव पुत्र आनंदा

समस्त जाति मीना निवासी ढाकावास तहसील नांगल राजावतान

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान

....रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश उप तहसीलदार, लवाण दिनांक 20.12.2002 द्वारा पारित निर्णय तकास्मा।

उपस्थितः– 1. श्री सतीश पारीक, अधिवक्ता अपीलांट्स पक्ष
2. श्री सीताराम मीना,, अप्रार्थी सं0 01 व 05 की ओर से
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 09.06.2023

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार, लवाण द्वारा दिनाकं 20.12.2002 को अपीलांट्स व रेस्पो0 सं. 1 से 5 की खातेदारी भूमि का तकास्मा आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील मियाद के अधीन दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांटस द्वारा प्रार्थना पत्र द्वारा निवेदन किया कि अधीनस्थ उपतहसीलदार लवाण द्वारा पारित तकास्मा आदेश पारित करते समय अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया एवं पीठ पीछे से आदेश पारित किया गया है। अपीलांटस का उक्त भूमि पर पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा है एवं रेस्पों. का कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा नहीं रहा है। अपीलांटस को पहली बार दिनांक 12.7.2019 को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई जिसकी नकल दिनांक 15.7.2019 को प्राप्त हुई। जिसके पश्चात प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र तमाम तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया। अपीलांटस अनपढ अशिक्षित व्यक्ति है जिनको मियाद संबंधी जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत नहीं कर सके। जानकारी के अंदर मियाद पेश की जा रही है। अतः अपील को अंदर मियाद मानते हुए डिले कन्डोन फरमाई जावे। बहस प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः डिले कन्डोन की जाकर अपील अंदर मियाद मानी जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:56:06 IST
Reason: SelfAttested

मूल राजस्व अपील पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि ग्राम ढाकावास में आराजी खसरा नंबर 56, 98, 154, 156 से 158, 211, 215 से 217, 221, 241, 242, 247 कुल किता 14 रकबा 4.58है. स्थित है। रेस्पों. सं. 1 व रेस्पों. सं.2 लगायत 5 के पति/पिता द्वारा सहमति बतौर

निरंतर ...2 पर

तकास्मा करने का फर्जी आवेदन तैयार कर प्रशासन गांवों के संग कैंप में बिना अपीलांट्स की जानकारी तथा आवेदन पर अपीलांट्स के फर्जी हस्ताक्षर कर रेस्पों. सं. 1 व रेस्पों. सं.2 लगायत 5 के पति/पिता द्वारा उपतहसीलदार लवाण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर उपतहसीलदार लवाण द्वारा अपीलांटस को बिना सुने व रेस्पों. सं. 1 व रेस्पों. सं.2 लगायत 5 के पति/पिता को उनके बताये अनुसार कथनों के आधार पर एवं पटवारी हल्का से प्रशासन गांवों के संग अभियान में बिना मौका जांच किये तथा पटवारी हल्का से रेस्पों. सं. 1 व रेस्पों. सं.2 लगायत 5 के पति/पिता द्वारा साठगांठ करके मनमुताबिक मौके के विपरीत भूमि के कुर्रेजात तैयार करवाकर तथा विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट्स के फर्जी हस्ताक्षर कर उप तहसीलदार लवाण से आलौच्य आदेश पारित करवा लिया। आलौच्य आदेश के मुताबिक तकास्मा दिनांक 20.12.2002 अनुसार अपीलांटस व अपीलांट की स्व.माता रामप्यारी के नाम नवीन खसरा नंबर 154/1, 156, 157/1, 216, 217/1, 221/1, 241/1, 242/1, 242/4, व 247/2 दर्ज कर दिये तथा रेस्पों. सं0 2 लगायत 5 के पति/पिता आनन्दा के नाम खसरा नं0 56, 154/2, 157/2, 211, 215, 217/2, 221/2, 241/2, 242/2, 242/3, 247/2 दर्ज कर दिया तथा अपीलांटस व रेस्पों. सं. 1 व रेस्पों. सं. 2 लगायत 5 के पति/पिता के नाम खसरा नंबर 98 व 158 शामलाती रखते हुए दर्ज कर दिया। उक्त तकास्मे की जानकारी पूर्व में अपीलांटस को नहीं थी क्योंकि रेस्पों. सं0 1 व रेस्पों. सं0 2 से 5 के पति/पिता आनन्दा ने तकास्मा के तथ्यों को छिपाते हुए चुपचाप गलत तरीके से तकास्मा करवाकर छुपाये रखा तथा रेस्पों. सं0 1 व रेस्पों. सं0 2 से 5 के पति/पिता आनन्दा ने अवैध तरीके से दिनांक 20.12.2002 को उपतहसीलदार लवाण से आलोच्य आदेश पारित करवाया है जिसकी पालना आज दिनांक तक राजस्व नक्शा ट्रैस में नहीं करवाई जिससे अपीलांटस को उक्त आदेश की जानकारी नहीं हुई। दिनांक 12.7.2019 को अपीलांटस से रेस्पों. सं. 1 से 5 द्वारा गांव में ऐलानियां कहा कि हमने उक्त आराजीयात भूमि का तकास्मा दिनांक 20.12.2002 को ही करवा लिया तथा खसरा नंबर 247 की भूमि रोड से लगती हुई है जिस पर अपीलांटस का आधिपत्य कब्जा काश्त उनके पूर्वजों के समय से ही बदस्तूर चला आ रहा था जिसे बेदखल करने का असफल प्रयास किया। अतः अपीलाधीन तकास्मा आदेश निरस्त योग्य है। उप तहसीलदार लवाण का अपीलाधीन आदेश कानून, नियम व उपनियम व पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल है। अपीलांटस व रेस्पों0 सं. 1 व 2 से 5 के पति/पिता के मध्य तत्कालीन समय में सहमति से प्रशासन गांवों के संग अभियान में दिनांक 20.12.2002 को किसी प्रकार का कोई तकास्मा नहीं किया गया तथा ना ही उक्त तकास्में की जानकारी अपीलांटस को पूर्व में थी। रेस्पों0 सं. 1 व 2 से 5 के पति/पिता आनन्दा ने अपीलांटस के फर्जी अंगूठा निशानी व हस्ताक्षर कर तथा हल्का पटवारी से मिलीभगत करके अवैध रूप से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर तथा आराजी खसरा नंबर 247 की भूमि जो रोड से लगती हुई है उसका रेस्पों.गण ने अपने पक्ष में एवं रोड से दूर भूमि को अपीलांटस के पक्ष में खसरा नंबर 247/2 प्रस्तावित करवाते हुए उप तहसीलदार लवाण से गलत तरीके से तकास्मा आदेश दिनांक 20.12.2002 पारित करवाया है। निर्णय जैर अपील अपीलांटस के अधिकार प्रभावित होने से अपीलांटस को बिना सुने आरजीयात का मौके पर अपीलांट के कब्जे के विपरीत वि[illegible]स्ताव तैयार कराकर आलोच्य आदेश पारित करवाया है। अतः अपील अ[illegible] दिनांक 20.12.2002 को उप तहसीलदार लवाण द्वारा किये गये तकास्मा निरस्त [illegible] जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1[illegible] दलील है कि ग्राम ढाकावास तहसील नांगल राजावतान में स्थित कृषि भूमि खाता सं0 52 रकबा 4.58 है. में खातेदारान हरलाल, बत्तू, पि. कल्याण, रामप्यारी बेचा कल्याण कौम मीना सा देह व आनन्दा, बजरंगा पि. गंगल्या कौम मीना खातेदार थे। उक्त खातेदारों द्वारा उपतहसीलदार लवाण को दिनांक 20.12.2002 को आपसी सहमति के आधार पर भूमि का विभाजन कराने बाबत प्रार्थना पत्र प्रशासन गांवों के संग अभियान में प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर पटवारी हल्का को उपतहसीलदार लवाण

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:56:06 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ...3 पर

द्वारा नियमानुसार मुताबिक सहमति पत्र व मौका नक्शे अनुसार जोत के विभाजन का नामान्तरकरण दर्ज कर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने के आदेश प्रसारित करने पर सह खातेदारान की उपस्थिति में उनके हिस्से का मौकानुसार तकास्मा किया गया है। अपीलांटस की ओर से अपीलाधीन आदेश को 16 वर्ष से भी अधिक विलंब से चुनौती दी गई है। विलंब से अपीलाधीन आदेश को चुनौती दिये जाने बाबत कोई युक्तियुक्त कारण भी नहीं बताया गया है। उपतहसीलदार लवाण द्वारा पारित आदेश नियमानुसार विधि अनुरुप है। जिसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलांटस द्वारा लगाये गये आरोप निराधार व बेबुनियाद एवं मनगढन्त है जिनका कोई आधार ही नहीं है। अपीलांट द्वारा अब दुर्भावना से यह अपील पेश की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है अपीलांट एवं रेस्पों.सं0 1 व 2 लगायत 5 के पति/पिता द्वारा विधिवत प्रार्थना पत्र प्रशासन गांवों के संग अभियान में प्रस्तुत किये जाने पर उपतहसीलदार लवाण द्वारा प्रश्नगत भूमि का विधिवत रूप से तकास्मा आदेश पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खातेदारों द्वारा काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 (2) के तहत भूमि का बॅटवारा हेतु उप तहसीलदार लवाण को आवेदन करने पर प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट पटवारी हल्का से करवाई गई। तत्पश्चात पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जॉच भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त नांगल राजावतान हल्का से करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट पर मौजूद है। तत्पश्चात उपतहसीलदार लवाण द्वारा खातेदारों के मध्य दिनांक 20.12.2002 को तकास्मा आदेश पारित किये गये। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का द्वारा झूॅठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। खातेदारों द्वारा आपसी सहमति से बॅटवारानामा पेश करने पर मौके पर पटवारी से जॉच करवाई जाकर आदेश पारित किया गया है। बॅटवारानामा पर सभी खातेदारों के हस्ताक्षर मौजूद है। उक्त बॅटवारानामा दिनांक 20.12.2002 को किया जाकर तदनुसार खातेदारों के मध्य विभाजन किया गया जिसको लगभग 20 वर्ष से भी अधिक समय हो गया। उसके बाद बॅटवारानामा गलत होना बताया जाकर न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गई है। ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को पुनः सुना जाना न्याय हित में प्रतीत होता है। पत्रावली व बॅटवारानामा के अवलोकन व उभयपक्ष की बहस को मध्य नजर रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचे है कि प्रकरण न्याय हित में रिमाण्ड योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। उप तहसीलदार लवाण द्वारा पारित अपीलाधीन तकास्मा दिनांक 20.12.2002 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार नांगल राजावतान को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनों पक्षों को सुनवाई एवं सबूत का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेखा भण्डार हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:56:06 IST
Reason: SelfAttested

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 09 जून, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा